

नोटिस नीलामी जनपद न्यायालय फतेहपुर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023-24 (28.08.2023 से 03.03.2024) के लिए खान पान (कैण्टीन), साइकिल स्टैण्ड, तम्बाकू रहित पान की दूकान व फल की दूकान के ठेका की नीलामी उपरोक्त अवधि हेतु दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक **28.08.2023** को दिन में दोपहर **02.00 बजे से 04.00 बजे** के मध्य वित्तीय समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय फतेहपुर के परिसर में की जायेगी जो लोग बोली में भाग लेना चाहे निर्धारित शर्तों की जानकारी हेतु निर्धारित समय के एक दिन पूर्व तक नजारत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।


1- नीलामी के समय बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व काशन मनी के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा निर्धारित धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा बोली स्वीकार होने के पश्चात बोली का 25 प्रतिशत जमानत की धनराशि के रूप में नगद जमा किया जायेगा।

2- प्रत्येक त्रैमासिक अन्तराल पर अर्थात् अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के प्रथम सप्ताह में त्रैमासिक किश्त के रूप में जमा की जायेगी।

3- यह कि जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकृत होगी उसे सभी शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध प्रपत्र व व्यक्तिगत बंधपत्र देने होंगे जो जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर व ठेकेदार के मध्य होंगे।

4- यह कि साइकिल स्टैण्ड के लिए स्थान निर्धारित है, इस हेतु मान्नीय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

5- यह कि जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर बिना कारण बताये अधिक बोली को स्वीकार न करने के अधिकारी होंगे।


अध्यक्ष,

वित्तीय समिति /

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।